न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/13/2021

भरतसिह उचित मूल्य दुकानदार, ग्रांम पंचायत बरोलीरान, तहसील नदवई, जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर जरिये पैरोकार रसद

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 17–2–2017 व बाबत प्रकरण संख्या 08/2017

निर्णय दिनांक 22–11–2022

अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 17–2–2017 से प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 17–2–2017 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई। इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 13/2017 में अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक की अनुपस्थित में दिनांक 4–7–2019 को निर्णय पारित करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की आज्ञा दी गई थी। अपीलान्ट ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 4–7–2019 से व्यथित होकर एक अपील माननीय खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयुपर के समक्ष पेश की गई।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर ने पुनरीक्षण याचिका संख्या – 52/2019 उनवानी भरतसिंह बनाम जिला कलक्टर वगै0 स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 16.6.2021 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 4–7–2019 को अपास्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला कलक्टर भरतपुर को पुनः प्रेषित (Remand) किया है कि रिविजनकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर के निर्णय दिनांक 16.6.2021 के परिप्रेक्ष्य में अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्षकारान की तलवी की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने अपील लिखित बहस भी पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.2.2017

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा श्रीमान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की लेकिन न्यायालय श्रीमान द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अपने आदेश दिनांक 4.7.2019 द्वारा इकतरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता की गैरहाजरी में मैरिट पर खारिज कर दीगई जिसको प्रार्थी द्वारा जरिये रिवीजन माननीय खाद्य आयुक्त जयपुर के समक्ष चुनौती दी गई जिसमें माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त जयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.6.2021 द्वारा रिवीजन याचिका को आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण श्रीमान को पुनः सुनवाई किये जाने बाबत रिमान्ड किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि अतिरिक्त खाद्य आयुक्त द्वारा समान प्रकृति के प्रकरण में रिवीजन याचिका संख्या 4/2020 विजयभापन सिंह बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर में सुनवाई की जाकर अपने आदेश दिनांक 5.5.2021 द्वारा उक्त रिवजीन याचिका को आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया है कि "पत्रावली का अद्यापान्त अवलोकन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के विरुद्ध मुख्य आरोप आधार कार्ड नंबर 638057154415 एवं 829724265412 को अलग अलग राशन कार्डो में प्राधिकृत अधिकारी की आई.डी. का अवैध दुरुपयोग करते हुये जोड़ा जाकर तथा उक्त आधार कार्ड को अवैध रुप से पृथक पृथक राशनकार्डो में जोड़ने के पश्चात आधार कार्ड धारकों की सहायता से उनके बायामैट्रिक पहचान चिन्हों का उपयोग करते हुये उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 4.60 क्विंटल गेंहू एवं 08 लीटर कैरोसीन का पोस मशीन के माध्यम से कूटरचित वितरण एवं दुरुपयोग किया गया है इस सबंध में प्रार्थी वकील द्वारा तर्क दिया गया कि विभाग द्वारा प्रार्थी को पास मशीन बाबत किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण या तकनीकी जानकारी नहीं दी गई एवं प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से रसद सामग्री का कोई गबन या कालाबाजारी नहीं की गई है, किसी भी उपभोक्ता ने वितरण के बाबत कोई शिकायत नहीं की गई है। पोस मशीन के अनुसार एक आधार कार्ड से एक ही राशनकार्ड को जोड़कर रसद सामग्री निकाली जा सकती है लेकिन कई बार पोस मशीन में तकनीकी खामी एवं उचित प्रशिक्षण के अभाव में ट्रांजेक्शन रिपीट होना संभव है लेकिन जांच दल द्वारा बिना किसी विस्तृत जांच/निष्कर्ष के एवं बिना किसी आधारों पर केवल मात्र ट्रांजेक्शन रिपोर्ट को ही आधार माना जाकर प्रार्थी पर रसद सामग्री के गबन का आरोप माना गया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना किसी उचित निष्कर्ष एवं ठोस साक्ष्य के अभाव में कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं माना सकता बाबजूद इसके जांच अधिकारी द्वारा काल्पनिक तथ्यों के एवं संभावनाओं के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा विभागीय आदेशों /निर्देशों की पूर्ण रुप से पालना की जाकर पोस मशीन द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन उपरान्त रसद सामग्री का वितरण किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की गई है। प्रार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उलंघन नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना की है कि अन्य प्रकरणों की तरह अपीलार्थी का प्रकरण भी समान नेचर के हैं अतः अपीलार्थी का

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

प्रकरण भी जिला रसद अधिकारी भरतपुर को रिमान्ड किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि प्रार्थी ने अपीलान्ट ने आधार कार्ड नम्बर 472148355137 का उपयोग कर उसी आधार कार्ड धारक की बायोमैट्रिक पहचान अंकित कर गेंहू व कैरोसीन का कुटरचित वितरण पोस मशीन में दर्शाया जकार दुरुपयोग किया गया है। डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,11,15, 17 व 17सी का उलंघन किया गया है। अपीलान्ट अन्य प्रकरणों का हवाला देते हुये अपना प्रकरण पुनः जांच हेतु डीएसओ भरतपुर को भिजवाना चाहता है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 17.2.2017 का अवलोकन किया गया। तहत न्यायालय ने बिना परिक्षण किये बिना साक्ष्य सबूत लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावें। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश इकतरफा में वगेर अपीलान्ट की साक्ष्य एवं सुनवाई के ही पारित किये जाने के कारण अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य पाते हैं।

माननीय अतिरक्त खाद्य आयुक्त,जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 15–06–2021 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.7.2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेषित (रिमान्ड) किया है कि ".....रिविजनकर्ता को सुनवाई का पुनः समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें.....।" मेरी विनम्र राय में माननीय अतिरक्त खाद्य आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 15–06–2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को ट्राईल कोर्ट को गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय लिये जाने हेतु प्रति प्रेषित (रिमान्ड) किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 17–2–2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण का पुनः परीक्षण करें, अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये विधि सम्मत पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 22–11–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर